जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

पुरानी नलकूप सेवाओं को बंद कर नई जल प्रदाय प्रणाली से जुड़ें नगरीय निकायः भोंडवे

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए आयुक्त सह प्रबंध संचालक संकेत भोंडवे ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। होटल पलाश में योजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भोंडवे ने 46 नगरों की जल प्रदाय योजनाओं और 3 नगरों की सीवरेज परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का सूक्ष्म विश्लेषण किया। भोंडवे ने निर्देशित किया कि जिन नगरीय निकायों में नवीन जल प्रदाय व्यवस्था सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुकी है, वहां पुराने नलकूपों (ट्यूबवेल) को तत्काल बंद किया जाए, जिससे भू-जल का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। प्रबंध संचालक भोंडवे ने स्मार्ट मीटरिंग और पर्यावरण संरक्षण पर आधुनिक तकनीक के समावेश पर कहा कि जल प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए लगाए जा रहे जल मीटरों में न्यूनतम 5 प्रतिशत 'स्मार्ट मीटर' स्थापित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने जल शोधन संयंत्रों और मलजल शोधन संयंत्रों के परिसर को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। भोंडवे ने 'माय लाइफ' पोर्टल का उल्लेख करते हुए कहा कि आगामी मानसून के दौरान इन संयंत्रों के समीप सघन वृक्षारोपण किया जाए और इसकी शत-प्रतिशत प्रविष्टि पोर्टल पर सुनिश्चित की जाए।

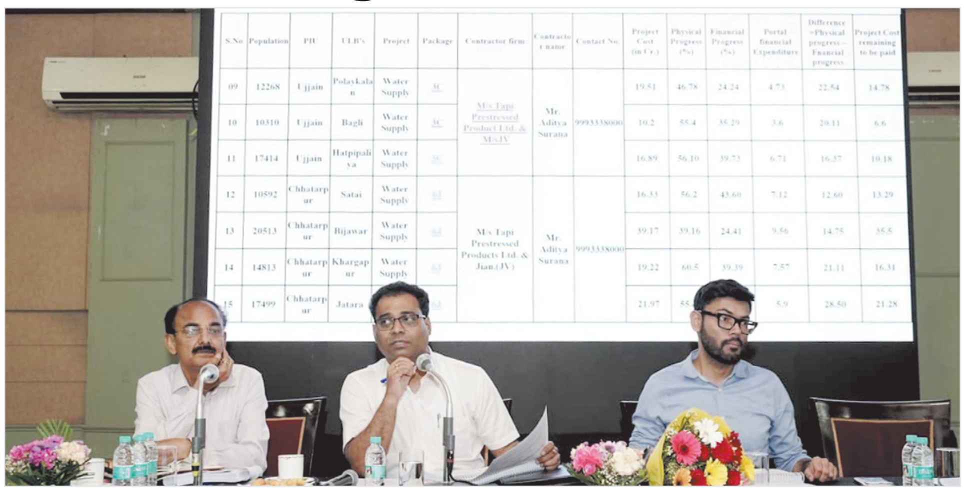

सुरक्षा मानकों और सुदृढ़ अधोसंरचना का संकल्प

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सर्वोपरि बताते हुए भोंडवे ने पाइपलाइन बिछाने के उपरांत किए जाने वाले 'रोड रेस्टोरेशन' (सड़क बहाली) के कार्यों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बहाली के कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई गई, तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करें। निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, बैरिकेडिंग और यातायात डायवर्जन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

सामुदायिक सहभागिता और नियमित मॉनिटरिंग

अतिरिक्त प्रबंध संचालक दिव्यांक सिंह ने बैठक में परियोजनाओं की सफलता के लिए सामुदायिक गतिविधियों के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से जन-सामान्य को जोड़ने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक प्रभावी पुनर्नीति तैयार की जानी चाहिए। मुख्य अभियंता शैलेन्द्र शुक्ला ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रमुख अभियंता आनंद सिंह, विभिन्न जिलों के परियोजना प्रबंधक, परामर्शदाता फर्मों के विशेषज्ञ और संविदाकार संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जल गंगा संवर्धन अभियान संबंधी ली बैठक

प्रदेश में अधिक से अधिक हों जल संवर्धन और जल संरक्षण के कार्य

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारी समाज के सभी वर्गों एवं आमजन के सहयोग से अपने-अपने क्षेत्र में वृहत रूप से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य कराएं और इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाएं। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान गत 19 मार्च से चलाया जा रहा है जो तीन माह तक चलेगा। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में जल गंगा संवर्धन अभियान संबंधी बैठक लेकर अभियान के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा, अधीक्षण यंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्रीमती हर्षा जैनवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री सिलावट ने निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत आगामी दिनों में कराए जाने वाले कार्यों की कछारवार विस्तृत रूप रेखा तैयार कर आगामी 3 दिवस में प्रस्तुत की जाए। अभियान के सम्बन्ध में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक मैं बताया गया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य रूप से जल संग्रहण स्त्रोतों के रख-रखाव एवं मरम्मत के अनुरूप अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करना, निर्मित तालाब की पाल पर मिट्टी के कटाव अथवा अतिवर्षा से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पुनः निर्माण किये जाने, तालाबों की पिचिंग, बोल्डर टो तथा घाट आदि के मरम्मत का कार्य, जल संरचनाओं के किनारों पर अतिक्रमण को रोकना, संपूर्ण नहर प्रणाली में घास, झाडी, छोटे पेड पोधे आदि की सफाई का कार्य एवं वृक्षारोपण, शहरी आबादी क्षेत्रों में प्रमुख नहरों का चिन्हाकंन व सीमांकन का कार्य, स्टाप डेम बैराज-वीयर के गेट इत्यादि की मरम्मत, बांध के फ्लस बार स्लूज बेल की मरम्मत तथा सफाई का कार्य, केचमेंट एरिया में अवरोध का चिन्हांकन कर उसे हटाना तथा अन्य आवश्यक तकनीकी कार्य आदि कराए जा रहे हैं। अधिकारियों को सभी कार्यो को पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराए जाने के निर्देश दिए गए।

राज्यमंत्री पटेल ने गौशाला का किया निरीक्षण, बेल पत्र का लगाया पौधा

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।
पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने गायत्री शक्तिपीठ भोपाल परिसर में गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौमाता की पूजा-अर्चना कर प्रदेश एवं देश की खुशहाली एवं समृद्धि की प्रार्थना की। मंत्री पटेल ने गौशाला के संचालन, पशुपालन व्यवस्था एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं-विशेष रूप से नस्ल सुधार एवं अपग्रेडेशन-पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने गौ उत्पादों के संवर्धन एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए भी संचालकों को प्रेरित किया।

अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार से आए जगदीश चंद्र कुलमी (मध्यप्रदेश जोनल समन्वयक) एवं राजेश पटेल (व्यवस्थापक एवं म.प्र. जोन समन्वयक) द्वारा राज्यमंत्री पटेल का गायत्री मंत्र दुपट्टा, शॉल, श्रीफल एवं पान का पौधा भेंट कर स्वागत किया। राज्यमंत्री पटेल ने राम स्मृति उपवन के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संवर्धन अभियान का अवलोकन कर उपवन परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने गायत्री मंदिर परिसर में बेल पत्र का पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान प्रदीप नीखरा, विनोद गुप्ता, सूरज परमार, अशोक नेमा जिला समन्वयक रमेश नागर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

सब-स्टेशन मेंटेनेंस के लिए 36 फीट ऊँचाई का मैन लिफ्टर इन-हाउस डिज़ाइन एवं निर्माण

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने पारेषण कार्यों में नवाचार और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एमपी ट्रांसको टीकमगढ़ द्वारा सब स्टेशनों में मेंटेनेंस कार्यों के लिए 36 फीट तक ऊँचाई पर काम करने में सक्षम एक मैन लिफ्टर का सफलतापूर्वक डिज़ाइन एवं निर्माण इन-हाउस किया गया है।

यह अभिनव 'मैन लिफ्टर' विशेष रूप से सब स्टेशनों में स्थापित ऊँचाई पर स्थित उपकरणों के सुरक्षित, कुशल और समयबद्ध रखरखाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस उपकरण की सहायता से मेंटेनेंस स्टॉफ अब ऊँचे स्ट्रक्चर, इंसुलेटर, बस बार तथा अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों तक आसानी से पहुँच सकता है। इससे स्कैफोल्डिंग या लेडर के उपयोग की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी, जिससे जोखिम और श्रम दोनों में उल्लेखनीय कमी आएगी। सब स्टेशन में ही उपलब्ध स्क्रैप मटेरियल और बाहर से न्यूनतम सामग्री खरीद कर इस लिफ्टर को तैयार किया गया है। बाजार में इस लिफ्टर की कीमत ढाई लाख रुपए से प्रारंभ होती है पर इसे सिर्फ 39000 रूपये में इन हाउस ही तैयार कर लिया गया। इन हाउस लिफ्टर तैयार करने में सागर के अधीक्षण अभियंता श्री एम वाय मंसूरी, के मार्गदर्शन में टीकमगढ़ के कार्यपालन अभियंता श्री आर. पी. कान्यकुब्ज, सहायक अभियंता श्री जी. पी. राय का योगदान रहा। यह नवाचार कार्यस्थल की सुरक्षा को बढाने के साथ , मेंटेनेंस कार्यो की दक्षता में सुधार करेगा तथा मरम्मत के दौरान होने वाले डाउनटाइम को भी कम करेगा। स्थानीय स्तर पर डिज़ाइन कर तैयार किया गया यह मैन लिफ्टर एमपी ट्रांसको की इन-हाउस नवाचार क्षमता का उदाहरण है।

भोपाल के काटजू अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल। भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में रविवार रात नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। गुस्साए परिजन अस्पताल परिसर में विरोध करने लगे। महिला डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ खुद को कमरों में बंद कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात संभाले। इस पूरे मामले में परिजन जहां डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इसे जटिल चिकित्सीय स्थिति बताते हुए अपनी सफाई दी है। परिजनों के अनुसार, संजना रैकवार को 9 माह की गर्भावस्था में शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया था। यह उनका पहला बच्चा था। रविवार शाम करीब 5 बजे उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई और लेबर रूम में सामान्य डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू हुई। परिजन बताते हैं कि बच्चा आधा बाहर आ चुका था, लेकिन अचानक स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने प्रसूता को ऑपरेशन थियेटर में शिफ्ट कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें बताया गया कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। यह सुनते ही परिजन आक्रोशित हो गए।

3.39 किमी. अंडरग्राउंड रहेगी मेट्रो, दो स्टेशन बनेंगे

टनल बोरिंग मशीन से 24 मीटर गहराई में खुदाई शुरू; 2 साल में पूरा होगा काम

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।
भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट के लिए सोमवार से जमीन के अंदर 24 मीटर गहराई में खुदाई शुरू कर दी गई। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के जरिए कुल 3.39 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई होगी। इसी में दो स्टेशन भी बनेंगे। मेट्रो अफसरों की माने तो अगले 2 साल में अंडरग्राउंड रूट का काम पूरा कर लिया जाएगा। भोपाल में एम्स से करोंद चौराहे तक ऑरेंज लाइन का काम चल रहा है। सुभाषनगर से एम्स के बीच 6 किमी लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर है। जहां पर मेट्रो चल रही है। इसी लाइन के सेकंड फेज यानी, सुभाषनगर से करोंद के बीच काम चल रहा है। यहां पर मेट्रो अंडरग्राउंड भी गुजरेगी।

जिसकी खुदाई की शुरुआत सोमवार से हो गई है। अफसरों की मौजूदगी में टीबीएम चालू की गई। यह रेड सी प्लाजा के पास से पुल पातरा की दिशा में आगे बढ़ेगी। दो स्टेशन, 180 मीटर रहेगी लंबाई इस कॉरिडोर में भोपाल और नादरा, दो अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। जिनकी लंबाई करीब 180-180 मीटर होगी। टीबीएम से बनी सुरंग 3.39 किमी तक जाएगी। इसके बाद बड़ा बाग के पास नादरा स्टेशन के आगे 143 मीटर स्लोप के जरिए मेट्रो फिर जमीन के ऊपर आ जाएगी। पीवीपी से मापन होगा अफसरों के अनुसार, जमीन के नीचे उतारी जा चुकी टीबीएम अब करीब 265 मीटर लंबा स्लोप (ढलान) बनाते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद खुदाई शुरू होगी। इस दौरान आसपास की इमारतों पर असर न पड़े, इसके लिए पिक पार्टिकल वेलॉसिटी (पीपीवी) का लगातार मापन किया जाएगा और तय मानकों के भीतर ही वाइब्रेशन रखा जाएगा। 50 मीटर के बाद दूसरी टीबीएम पहली मशीन जब करीब 50 मीटर तक सुरंग बना लेगी, उसके बाद दूसरी टीबीएम को भी लॉन्च किया जाएगा। इससे काम की गति तेज होगी और दोनों मशीनें समानांतर तरीके से सुरंग तैयार करेंगी। अंडरग्राउंड रूट और मेट्रो स्टेशन पर करीब साढ़े 7 सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। दो साल में काम पूरा करना है।

नशे में लड़कियों के बीच सड़क पर झगड़ा

भोपाल के एमपी नगर में रात का 'हाई वोल्टेज ड्रामा, बाल पकड़कर घूसे मारे

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल
भोपाल के एमपी नगर जोन-2 इलाके में रविवार देर रात सड़क पर कुछ युवतियों के बीच जमकर विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें युवतियां आपस में झगड़ती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सभी युवतियां नशे की हालत में थीं और किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो बना लिए, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं।

घटना को लेकर यह भी चर्चा है कि झगड़े के दौरान एक युवक की उंगली में गंभीर चोट आई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एमपी नगर थाना प्रभारी जय हिंद शर्मा के अनुसार इस मामले में थाने में न तो कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और न ही एफआरबी में कोई कॉल या घटनाक्रम दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद का प्रतीत होता है, जिसमें संबंधित लोगों ने स्वयं कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस के पास कोई औपचारिक शिकायत नहीं होने से मामला दर्ज नहीं किया गया है।

'बेटा' सुनते ही भड़का बदमाश, चाकू घोंपकर कारोबारी की हत्या

रास्ते में विवाद के दौरान समझा रहा था पीड़ित

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।
भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में मामूली विवाद ने रविवार देर रात खौफनाक रूप ले लिया। 'बेटा' कहकर समझाने की कोशिश करने पर आरोपियों ने 35 साल के चाय कारोबारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सोमवार सुबह गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने सुभाष कॉलोनी में चक्काजाम कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद करीब आधे घंटे में जाम खुल सका। इस दौरान परिजन का पुलिस से विवाद भी हुआ। परिजन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ थाना परिसर में प्रदर्शन किया। इधर, हमीदिया अस्पताल की मॉर्चुरी के सामने भी मृतक के परिजन ने हंगामा किया था। यहां पुलिस बल तैनात किया गया है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी अनुराग लाल ने बताया कि मामूली विवाद में हत्या हुई है। तीन संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ बम फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

इकबाल मैदान विवाद में बढ़ी तकरार

भोपाल। भोपाल में ऐतिहासिक इकबाल मैदान का नाम बदलने को लेकर विवाद तेज हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के बयान के विरोध में सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने मैदान में प्रदर्शन किया और बयान को भड़काऊ बताया। समिति के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा कि इस तरह के बयान देश में तनाव का माहौल पैदा करते हैं।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आजाद कुमार जैन S/O श्री हुकुम चंद जैन निवासी–ई 19, फेस I द ग्रेड ऐवेन्यू पीछे वर्धमान स्कूल सेक्टर 3, इटारसी मैं पश्चिम मध्य रेलवे मंडल के अंतर्गत इटारसी में लोको पायलेट (मेल एक्सप्रेस) के पद पर कार्यरत हूं, मेरे शासकीय दस्तावेज, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पेन कार्ड, इत्यादि में मेरा पूरा सही नाम आजाद कुमार जैन S/O श्री हुकुम चंद जैन अंकित है जबकि मेरी सर्विस पुस्तिका में मेरा अधुरा नाम आजाद कुमार S/O श्री हुकुम चंद अंकित है। शासकीय रिकार्ड में सुधार करते हुए मुझे सरनेम सहित सही नाम से जाना पहचाना लिखा पढ़ा जाये।

AZAD KUMAR JAIN
S/O SHRI HUKUM CHAND JAIN

गोपाल नगर, छान–गौरा गांव में कल बिजली कटौती

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल। भोपाल के करीब 15 इलाकों में मंगलवार को 4 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते सप्लाई पर असर पड़ेगा। जिन इलाकों में बिजली बंद रहेगी, उनमें गोपाल नगर, गौरा गांव, छान, दीप मोहिनी फेस-3, बालाजी नगर समेत कई बड़े इलाके भी शामिल हैं। ऐसे में बिजली संबंधित जरूरी काम पहले से निपटा लें। ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक 11 मील गार्डन सिटी कॉलोनी, आरआरजी कॉलोनी, छान एवं आसपास के इलाके।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि अमृत धाकड. पिता अनंत सिंह धाकड आयु वयस्क ग्राम वर्धा, तेह. शमशाबाद, वर्धा, विदिशा (म.प्र.) है। परन्तु मेरे आधार कार्ड मे त्रुटिवश मेरा नाम अमृत सिंह पिता अनंत सिंह धाकड (AMRAT SINGH S/O ANANT SINGH DHAKAD) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजो मे दर्ज होने से प्रमाणित है।

प्रकाशन उपरांत मेरा नाम अमृत धाकड पिता अनंत सिंह धाकड. (AMRIT DHAKAD S/O ANANT SINGH DHAKAD) के नाम से जाना, पहचाना व पढा जावें।

पुराना नाम
अमृत सिंह पिता अनंत सिंह धाकड
(AMRAT SINGH S/O ANANT SINGH DHAKAD)
नया नाम
अमृत धाकड. पिता अनंत सिंह धाकड
(AMRIT DHAKAD S/O ANANT SINGH DHAKAD)

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं, कि मैं रचना श्रीवास्तव पति कालीचरण श्रीवास्तव निवासी फ्लैट नं. 2 फर्स्ट फ्लोर, लक्ष्मी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, संत आसाराम नगर, बागसेवनिया तहसील हुजुर जिला भोपाल म.प्र. की निवासी हूँ। मेरा नाम स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट आई.डी. कार्ड में KU. RACHNA KHARE, एवं पेन कार्ड अन्य दस्तावेजों में RACHNA KHARE दर्ज हैं जो कि मेरे विवाह पूर्व का नाम है। विवाह पश्चात् मेरा वास्तविक सही नाम रचना श्रीवास्तव (RACHNA SHRIVASTAVA) है, जो कि मेरे विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं जिला बार एसोसिएशन दस्तावेजों में दर्ज होने से प्रमाणित हैं। मै मेरा वास्तविक सही नाम मेरे स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट आई.डी. कार्ड / शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती हूँ। रचना श्रीवास्तव (RACHNA SHRIVASTAVA) ß KU. RACHNA KHARE, RACHNA KHARE उक्त नाम एक ही महिला के मेरे स्वयं के ही हैं।

प्रकाशन उपरांत मुझे रचना श्रीवास्तव (RACHNA SHRIVASTAVA) के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा एवं दर्ज किया जावें।

पुराना नाम
KU. RACHNA KHARE
RACHNA KHARE
नया नाम
रचना श्रीवास्तव (RACHNA SHRIVASTAVA)

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं, कि मैं तुलसी बाई गौरकर पति बाबूलाल गौरकर निवासी एम.आई.जी. 50 ए रामेश्वरम कॉलोनी, तहसील हुजुर जिला भोपाल म.प्र. की निवासी हूँ। मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश Tulsa Bai दर्ज हो गया हैं जो कि गलत हैं। मेरा वास्तविक सही नाम तुलसी बाई गौरकर (TULSI BAI GOURKAR) है, जिसको मेरे आधार कार्ड / शासकीय / अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती हूँ। तुलसी बाई गौरकर (TULSI BAI GOURKAR) व दोनों नाम एक ही महिला के मेरे स्वयं के ही हैं।

प्रकाशन उपरांत मुझे तुलसी बाई गौरकर (TULSI BAI GOURKAR) के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा एवं दर्ज किया जावें।

पुराना नाम
Tulsa Bai
नया नाम
तुलसी बाई गौरकर
(TULSI BAI GOURKAR)

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं, कि विरेन्द्र सिंह पिता घनश्याम निवासी ग्राम सिसगांव, पोस्ट हथनोरा, जिला ग्वालियर म.प्र. हूँ। मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में परमाल सिंह दर्ज हो गया हैं जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम छोटू जाट (CHHOTU JAT) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज होने से प्रमाणित हैं जिसको मैं मेरे पुत्र के आधार कार्ड / शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह कि छोटू जाट (CHHOTU JAT) व परमाल सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के मेरे पुत्र के ही हैं।

प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को छोटू जाट (CHHOTU JAT) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावें।

पुराना नाम
परमाल सिंह
नया नाम
छोटू जाट
(CHHOTU JAT)

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं, कि मैं कशिक धाकड़ पिता सुजान सिंह निवासी सेवासनी, जिला रायसेन म.प्र. की निवासी हूँ। मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश कशिश ष्/ह सुजान सिंह दर्ज हो गया हैं जो कि गलत हैं। मेरा वास्तविक सही नाम कशिक धाकड़ (KASHIK DHAKAD) पिता सुजान सिंह (SUJAN SINGH) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज होने से प्रमाणित हैं जिसे मेरे आधार कार्ड / शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती हूँ। कशिक धाकड़ (KASHIK DHAKAD) पिता सुजान सिंह (SUJAN SINGH) व कशिश D/O सुजान सिंह दोनों नाम एक ही महिला के मेरे स्वयं के ही हैं।

प्रकाशन उपरांत मुझे कशिक धाकड़ (KASHIK DHAKAD) पिता सुजान सिंह (SUJAN SINGH) के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा एवं दर्ज किया जावें।

पुराना नाम
कशिश D/O सुजान सिंह
नया नाम
कशिक धाकड़
(KASHIK DHAKAD)
पिता सुजान सिंह
(SUJAN SINGH)

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्र.क्र. -0336/अ-27/2025-2026 मौजा-परवलिया सड़क प.ह.न. 5 तहसील हुजूर भोपाल

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। आवेदक शोइब गुल पिता वहाब गुल पता 321 गांधी नगर हाइवे सेक्टर न. 02 जमा मस्जिद भोपाल म.प्र. द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम रातीबड़ प.ह.न. 5 भूमि खसरा 528 कुल रकबा 0.6200 हे0 मे से 0.0995 हे. खसरा क्रमांक 529 कुल रकबा 0.0600 हे. मे से 0.0134 हे0 खसरा क्र 530 कुल रकबा 0.6300 हे0 में से 0.0720 हे. भूमि का आवेदक एवं अन्य हितबद्ध भूधारकों के मध्य बंटवारा हेतु निवेदन किया है। 2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु पेशी दिनांक 15.01.2026 नियत है ।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30.12.2025 को जारी किया गया ।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील- हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण कमांक- 8764/3-6/2025-26
मौजा- निपानिया जाट तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हे। आवदेक श्रीमति सीता देवी गर्ग पत्नी स्व. श्री रामअतवार गर्ग निवासी-06 फेस 02 गोल्डन सिटी होंशगाबद रोड तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) म. प्र.भू.राजस्व. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम निपानिया जाट प.ह.न. 21 स्थित भूमि खसरा क्रमांक-499/4 रकबा 2.000 हे. भूमि जो राजस्व अभिलेखों मे आवेदक के पति/पिता/माता स्व. श्री रामअतवार गर्ग के नाम पर दर्ज है खातेदार की मृत्यु दिनांक 17.07.2022 को होने के परिणामस्वरूप आवेदक एंव उनके समस्त वैधानिक वारिसो के नाम से फौती नामांतरण स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा । प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 12.02.2026 नियत है ।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 02.02.2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल